बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 13.02.19

संख्या–11/टी0बी0(स्था0)–04/2017– 174 (11) /भारत संविधान के अनुच्छेद –309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, "बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2019" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **"बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" के नियम–2(iii) का प्रतिस्थापन ।**– उक्त नियमावली के नियम–2(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः– "(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग,"

3. **"बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" के नियम–6 का प्रतिस्थापन ।**– उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   "6. अर्हताएँ। – (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडियेट/10+2 (जीव विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हेल्थ भिजीटर के सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

   (2) यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

   (3) संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।"

4. **"बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" के नियम–7 का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली के नियम–7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"7. भर्ती की प्रक्रिया। –(1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100(एक सौ) पूर्णांक होगा :–

(क) इन्टरमीडियेट/10+2 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए– 25 अंक

(ख) उच्चतर डिग्री के लिए– 20 अंक

(बी0एस0सी0–10 अंक तथा एम0एस0सी0–10 अंक)

(ग) यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए– 30 अंक

(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)– 25 अंक

कुल 100 अंक

टिप्पणी।– इन्टरमीडियेट/10+2 एवं यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.25 या 0.3 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा क्रमशः 60% या 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 60% x 0.25 = 15 या 50% x 0.3 = 15 अंक दिये जायेंगे।

(3) आयोग, उपर्युक्त उपनियम (2) के आधार पर तैयार मेधासूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। तत्पश्चात् संबंधित नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

174 (11)
13.02.19

(4) (i) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त, नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ii) आयोग की अनुशंसा की विभाग में प्राप्ति की तिथि से, एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी।

5. **"बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" के परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2015 के परिशिष्ट–1 को निम्नलिखित नये परिशिष्ट–1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

परिशिष्ट–1

(देखें नियम– 2(vi), 4, 13, 16, 17)

बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	स्वास्थ्य परिदर्शक	
2	प्रथम पद सोपान	वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक	
3	द्वितीय पद सोपान	यक्ष्मा पर्यवेक्षक	

नोट ।– उपर्युक्त सभी कोटि/पदसोपान का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जाय।"

6. **"बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015" के परिशिष्ट–2 का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2015 का परिशिष्ट–2 निम्नलिखित नये परिशिष्ट–2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

174(11)
13.02.19

"परिशिष्ट–2

[देखें नियम–21]

बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग के कर्मियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व।

1. स्वास्थ्य परिदर्शकों का पदस्थापन यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों, जिला यक्ष्मा केन्द्रो, उत्क्रमित जिला यक्ष्मा केन्द्रों एवं चेस्ट क्लीनिकों में होगा, जहॉ उनका कार्य मोटिभेशन, सुपरवीजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना होगा।
2. वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक का पद जिला स्तरीय होगा और वे संबंधित जिला में पदस्थापित स्वास्थ्य परिदर्शक के कार्यों पर पर्यवेक्षण करते हुए उक्त कार्यों को करेंगे।
3. यक्ष्मा पर्यवेक्षक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा और वे संबंधित प्रमंडल के अधीन के जिलों के स्वास्थ्य परिदर्शक एवं वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक के कार्यों पर पर्यवेक्षण रखते हुए उक्त कार्यों को करेंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/2/19

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक :– 11/टी0बी0(स्था0)–04/2017–1740(1)/ पटना, दिनांकः–13.02.19

प्रतिलिपि :– उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,